

(4)

Unit-III / इकाई-III 15

6. What are the various kinds of Hiba under muslim Law? Describe each of them.

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत हिबा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? प्रत्येक प्रकार के हिबा का वर्णन कीजिये।

7. Explain the requirements of a valid will what are the limitation on the will. Discuss.

वैद्य वसीयत के आवश्यक तत्व कौन से हैं? वसीयत की सीमायें क्या हैं विवेचना कीजिए।

Unit-IV / इकाई-IV 15

8. Define pre-emption who is entitled to claim pre-emption discuss.

पूर्वक्रयाधिकार को परिभाषित कीजिये। पूर्वक्रयाधिकार का दावा कौन लोग करते हैं? विवेचना कीजिये।

9. Discuss general principles of inheritance under muslim law.

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकार के सामान्य नियमों की विवेचना कीजिये।

LH-4/2861

A

(Printed Pages 4)

Roll No. _____

LH-4/2861

LL.B.(Hons.)(Fourth Semester)

Examination, 2015

(New Course)

FAMILY LAW - II

Fourth Paper

Time Allowed : Three Hours] [Maximum Marks : 100

Note : Answer **five** questions in all . Question No.1 is **compulsory**. Attempt one question from each Unit.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न सं.1 अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिए।

1. Write short notes on the following:4×10=40
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:

(i) Salient features of a Joint Hindu Family
संयुक्त हिन्दु परिवार की मुख्य विशेषताये

P.T.O.

(2)

- (ii) Women can not be coparcenar
कोई स्त्री सहदायिक नहीं हो सकती है
- (iii) Women's Estate
नारी सम्पदा
- (iv) Class II heirs
द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी
- (v) Constitutionality of pre-emption
हकशूफा की संवैधानिकता
- (vi) Revocation of will under muslim law
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत वसीयत का प्रतिसंहरण
- (vii) Death bed gift
मृत्युशैय्या का दान
- (viii) Loss of the right of pre-emption
हकशूफा के अधिकार की समाप्ति
- (ix) Doctrine of Radd
रदद का सिद्धान्त
- (x) Re-opening of partition
पुनर्विभाजन

Unit-I / इकाई-I 15

2. What is meant by joint family? Discuss the main characteristic of joint family. What are the difference between Hindu joint family and coparcenary?

(3)

संयुक्त परिवार से क्या आशय है? संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिये। संयुक्त हिन्दू परिवार और सहदायिकी में क्या अन्तर है?

3. What do you understand by karta? Discuss its position and powers.

कर्ता से आप क्या समझते हैं? कर्ता की स्थिति व शक्तियों की विवेचना कीजिये।

Unit-II / इकाई-II 15

4. Who are entitled to share on partition of joint Hindu family property under the mitakshara school? Explain.

मिताक्षय विधि के अन्तर्गत संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के विभाजन के कौन 2 से व्यक्ति हिस्से के अधिकारी हैं? वर्णन कीजिये।

5. Discuss devolution of interest in coparcenary property (sec. 6) of Hindu succession Act, 1956.

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अन्तर्गत सहदायिकी सम्पत्ति में हित के न्यायन की विवेचना कीजिये।